



डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/साम्य०/2019/१५७

दिनांक : 19-08-2019

प्रेषक,

कुलसचिव,

डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

सेवा में,

प्रबन्धक,

गयादेई महिला महाविद्यालय,


दुर्गापुर रोड, बघवरिया, अमेठी।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत चयनित बी०ए० तथा बी०एस०सी० पाठ्यक्रम में प्रवक्ता अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक अपने पत्र दिनांक -08-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं दिनांक 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोजता अपने स्तर से भी करवाकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय/संस्थान प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पैन कार्ड नम्बर	आधार नम्बर	मोबाइल नं०	ई० मेल	शै० योग्यता	पद/विषय
1	डॉ० राम बहोर साकेत	श्री कन्हैया लाल साकेत	27.03.1988	BINPS2 464Q	52752 71722 55	909899 0616	rambah or1027 @gmail. com	पी०एच० डी०	वनस्पति विज्ञान प्रवक्ता (स्नातक स्तर)
2	डॉ० देवेन्द्र कुमार	श्री राकेश कुमार	02.07.1986	A014070 820	25133 92152 96	857492 5032	srivasta vdk86@ gmail.co in	पी०एच० डी०	गणित प्रवक्ता (स्नातक स्तर)
3	डॉ० मन्मथ राम नामदेव	श्री पी०आर० नामदेव	31.12.1976	AFIPN7 937C	97737 52830 95	982778 7614	grnamad eo@gma il.com	पी०एच० डी०	रसायन विज्ञान प्रवक्ता (स्नातक स्तर)
4	श्री सुधांशु प्रताप सिंह	श्री विनोद कुमार सिंह	06.05.1988	N- 2855497 0007713 1	67221 70071 37	988921 3667	spsingh8 8z@gma il.com	नेट	जन्तु विज्ञान प्रवक्ता (स्नातक स्तर)
5	डॉ० शिव कुमार	श्री गुप्तू	01.02.1984	N- 8810531 2905521 2	37623 76500 70	972106 8994	shiv.149 3@rediff mail.co in	पी०एच० डी०	भौतिक विज्ञान प्रवक्ता (स्नातक स्तर)
6	कु० सुनीता चौहान	श्री रुदल प्रसाद चौहान	01.10.1986	BAJPC4 384H	84192 95760 22	885856 4752	suchanh an63@g mail.co in	नेट	समाजशास्त्र प्रवक्ता (स्नातक स्तर)
7	कु० दीपाली गौर	श्री नरेन्द्र देव गौर	04.06.1996	N038709 7000840 75	67762 17030 85	933669 6010	maurya deepali3 3@gmail .com	नेट	गृहविज्ञान प्रवक्ता (स्नातक स्तर)




डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

-2-

8	डॉ० विभा पाण्डेय	श्री आशीष कुरुगुम पाण्डेय	28.05.1988	HTMPS 4733R	503412 871909	964854 0126	vibhapa ndey88 @gmail. com	पी०एच० डी०	अंग्रेजी प्रवक्ता (स्नातक स्तर)
9	श्री सुरेश चन्द्र पाल	श्री राम यश पाल	05.05.1981	ATEPP6 513C	48022 01978 05	-	-	नेट	शिक्षाशास्त्र प्रवक्ता (स्नातक स्तर)

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र, अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिड्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है तो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान/महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अंध विभवविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

दिनांक 03-10-2018

पत्र संख्या लो०अ/३०/२०१०/८०६१

धन,

कुलसचिव
डॉ० राममनोहर लोहिया अंध विभवविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में

प्रधान,
महिला महाविद्यालय,
दुर्गापुर रोड, फैजाबाद, अमेठी।

विषय - महाविद्यालय की योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला शाखा के विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपका हमसूचक विषयक अपने पत्र दिनांक 08.08.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि वयन समिति द्वारा की गई संशुद्धि एवं आप द्वारा सफलता करायें गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2018 का दिनांक 2018, 25 नवम्बर, 2018 एवं 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्वयंसेवकपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की शैक्षिक एवं आधुनिक पर प्रवक्ता पद पर चयनित विभागाध्यक्ष अभिलेखों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नोट सहित सभी शैक्षिक प्रवक्ता-पत्रों के सत्यापन के अर्चन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियंत्रण अपने स्तर से भी करायें अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अर्थवी अथवा विरोधी भी महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पैन कार्ड नं०/रसीद नं०	आधार नं०	शैक्षिक योग्यता	मोबाइल नं०	ई० मेल	विषय
1	श्री संतोष कुमार	श्री त्रिलोकी नाथ मिश्र	20.05.1979	CZGPK5572G	574909836868	भेट	9451073828	gotm@gmail.co	प्रवक्ता संस्कृत

इस उपरोक्त की सुरक्षित शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं सविदा प्रपत्र अन्यथा एवं प्रवक्ता के सत्यापन के सम्बन्ध में साईल फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूचित है कि अनुमोदन पत्र में उक्त पत्र के अंक वतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कम्प्यूटरी प्रेजिडेन्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र उक्त अर्थवी विरोधिका में नहीं जमा किया जाता है जो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

निलिखित, निम्नलिखित के सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान, ई०अ/३०/२०१० संत को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करायें जाने हेतु।
2. सत्यापन।

कुलसचिव





डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या लो०अ०वि०/रा०अ०/२०१०/०५५१

दिनांक : ०१.१०.२०१०

प्रेषक,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रवक्ता,
महामंडी महिला महाविद्यालय,
दुर्गापुर रोड, बघवरीया, अमैठी।

विषय - स्वयंसेवायुक्त योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कक्षा संकाय के अन्तर्गत चयनित वी०ए० पाठ्यक्रम में प्रवेश/ अनुमोदन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 15.10.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मार्च, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं दिनांक 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्वयंसेवायुक्त योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा एवं इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोजता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय/संस्थान प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पैन कार्ड नम्बर	आधार नम्बर	मोबाइल नं०	ईमेल	श्री० योग्यता	पद/विषय
1	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	श्री कृपाराकर त्रिपाठी	20.05.1979	APZPTJ154M	820779091224	6393392577	shuklaco- mputers0 05@ggmai- l.com	नेट	हिन्दी प्रवक्ता

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र, अभ्यर्थी एवं प्रवक्ता के स्वरूपताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुमोदन पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो; वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदाक मन्विय निधि (कान्फ्रैक्टरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है तो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान/महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,


(रामचन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(रामचन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव





डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/सां०/२०१०/१५५०

दिनांक: 15.12.2019

प्रेषक,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रवक्ता,
गयादेई महिला महाविद्यालय,
दुर्गापुर रोड, बधवरिया, अमेठी।

विषय:- स्वयत्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत चयनित बी०ए० पाठ्यक्रम में प्रवक्ता अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 03.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित किया है कि चयन समिति द्वारा बी गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं दिनांक 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्वयत्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अर्धीन होगा एवं इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोज्य अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय/संस्थान प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पैन कार्ड नम्बर	आधार नम्बर	मोबाइल नो	ईमेल	श्री योग्यता	पद/विषय
1.	श्री संदीप कुमार मिश्र	श्री वीरेंद्र प्रसाद मिश्र	13.07.1989	ATLPM1196P	563504991836	8081032392	shuklaco mputers0 55@gnai l.com	नेट	प्रा० इतिहास प्रवक्ता

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र, अभ्यर्थी एवं प्रवक्ता के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूचित है कि अनुमोदन पत्र ने उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख है। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अशुभदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है तो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान/महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

(रामचन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

/

(रामचन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव



DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/2020/3377

दिनांक: 05-10-2020

प्रेषक,

कुलसचिव,

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,

अयोध्या।

सेवा में,

प्रवन्धक,

गयादेई महिला महाविद्यालय,

दुर्गापुर रोड, बघवरिया, अयोध्या।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रम में प्रवक्ता अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 13.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं दिनांक 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा एवं इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोजकता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय/संस्थान प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पैन कार्ड नम्बर	आधार नम्बर	गोवाइल नं०	ईमेल	शैक्षिक योग्यता	पद/विषय
1	श्री विवेक त्रिपाठी	श्री शिवशंकर त्रिपाठी	26.09.1983	ARRPT6715D	406575338573	8299728009	Vivek888tripatiji@gmail.com	नेट	बी०काम० प्रवक्ता
2	श्री कृष्णा सिंह	श्री गोपाल सिंह	01.08.1995	GWSPS4274L	916123000465	9140104402	k.singh402@gmail.com	नेट	बी०काम० प्रवक्ता
3	श्री मिथिलेश कुमार	श्री हरिनाथ पासवान	15.09.1995	JAWPK9225B	503993049439	9795389739	Mithleshk966@gmail.com	नेट	बी०काम० प्रवक्ता
4	श्री पंकज गेरा	श्री जोगाध्यान गेरा	01.07.1986	BNJPG0010R	675047044450	9198071170	Pankaj.gera86@gmail.com	नेट	बी०काम० प्रवक्ता

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र, अभ्यर्थी एवं प्रवन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है तो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान/महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



कुलसचिव



DR. RAMMANOHAR LOHIA AYADHI UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि० / सम्ब० / 2020 / 3377

दिनांक: 05-10-2020

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ० राम मनोहर लोहिया अजय विश्वविद्यालय,
अयोध्या।

शेष में,

प्रदेशाक,
गयादेई महिला महाविद्यालय,
दुर्गापुर रोड, बघवतिया, अमैठी।

विषय:- स्वयंसेवक योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत नियमित पाठ्यक्रम में प्रवक्ता अनुमोदन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 13.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि ध्यान क्षमिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारसंचालन कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 नई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं दिनांक 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्वयंसेवक योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर ध्यनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन भेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा एवं इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोजित अपने स्तर से की कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय/संस्थान प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त ध्यनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र।	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पैन आरटि नम्बर	आधार नम्बर	मोबाइल नं०	ईमेल	शैक्षिक योग्यता	पद/विषय
1	श्री विवेक त्रिपाठी	श्री शिवशंकर त्रिपाठी	26.09.1983	ARRPT6715D	406575338573	8299728009	Vivek38Stripaiji@gmail.com	नेट	बो०कान० प्रवक्ता
2	श्री कृष्णा सिंह	श्री गोपाल सिंह	01.08.1995	GWSPS+274L	916123000465	9140104402	k.singh402@redmail.com	नेट	बो०कान० प्रवक्ता
3	श्री मिथिलेश कुमार	श्री हरिनाथ पासवान	15.09.1995	JAWPK9225B	503993049439	9795389739	Mithleshk966@gmail.com	नेट	बो०कान० प्रवक्ता
4	श्री पंकज गेरा	श्री जोगाच्यन गेरा	01.07.1986	BNJPG0010R	675047014450	9198071170	Pankaj.gera86@gmail.com	नेट	बो०कान० प्रवक्ता

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र, अभ्यर्थी एवं प्रवक्ता के स्वाहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुसन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी अधिव्य निधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुसन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है तो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसको सन्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान/महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



कुलसचिव



DR. RAMMANOHAR LOHIA AYADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)
डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/ 2021/5481

दिनांक : 02.07.2021

सेवा में,

प्रबन्धक,

गयादेई महिला महाविद्यालय,

दुर्गापुर रोड़, बघवरिया, अमेठी।

महोदय,

कुलपति महोदय ने चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के आलोक में डॉ० अफजाला कौसर पुत्री श्री अब्दुल वहाब (जन्मतिथि 14-05-1979) शैक्षिक योग्यता, पी०एच-डी० आधार कार्ड० नं० 5997 5300 0035, पैन नं० BIMP6331D, मोबाइल नम्बर-9305506262 ई०-मेल-drafzala5380@gmail.com के प्राचार्या पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर (अथवा जन्मतिथि के अनुसार 65 वर्ष तक मान्य होगा) उनके प्राचार्य पद पर अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि उक्त अनुमोदन पी०एच-डी० सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।


अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्राचार्य के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रीब्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है जो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. पत्रावली।


कुलसचिव





डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या : लौ०अ०वि० / सम्ब० / 2020 / 4679

दिनांक : 14.12.2020

सेवा में

प्रबन्धक,
गयादेई महिला महाविद्यालय,
दुर्गापुर, बघरिया, अमठी।

महोदय

मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि कुलपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-2 B(13) के अन्तर्गत दिनांक: 10.01.2020 को आपके महाविद्यालय की नवगठित प्रबन्ध समिति जो निम्नोक्त है, पर सहय अनुमोदन प्रदान कर दिया है। प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनांक 10.01.2020 से 06.01.2025 तक विधिमान्य होगा।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पद
1	श्री गुरु प्रसाद	श्री जयशम	अध्यक्ष
2	श्री अरुण कुमार	श्री जगदीश प्रसाद	उपाध्यक्ष
3	श्री अनिल कुमार प्रजापति	श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति	सचिव/प्रबन्धक
4	श्री राजेश कुमार	श्री श्रीराम प्रजापति	कोषाध्यक्ष
5	श्री राहुल प्रजापति	श्री जगदीश प्रसाद	सदस्य
6	श्री सुवेदार	श्री जगन्नाथ प्रसाद	सदस्य
7	श्री राम वृक्ष	श्री वासुदेव	सदस्य
8	प्राचार्य	पदेन सदस्य
9	शिक्षक प्रतिनिधि चक्रानुक्रम से 01 वर्ष हेतु	पदेन सदस्य
10	शिक्षक प्रतिनिधि चक्रानुक्रम से 01 वर्ष हेतु	पदेन सदस्य
11	शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि चक्रानुक्रम से 01 वर्ष हेतु	पदेन सदस्य

क्रम संख्या 09 से 11 तक के पदेन सदस्य चक्रानुक्रम से 01 वर्ष हेतु।

महाविद्यालय प्रबन्ध समिति का उपरोक्त अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत है कि प्रबन्ध समिति के अनुमोदन हेतु महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण/शपथ में भविष्य में कोई तथ्य त्रुटिपूर्ण/गलत पाया जाता है तो महाविद्यालय के विरुद्ध यथेचित कार्यवाही की जायेगी जिसका दायित्व स्वयं महाविद्यालय का होगा।



भवदीय

कुलसचिव